ऑन लाईन नं.RCMS2020/00144

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 37 / 2020

श्री, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरूद्वारा रोड़, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर। **–नमूना विक्रेता–**
   मै0 जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16–बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती अनिता बंसल पत्नी श्री विजय कुमार बंसल। **–मालिक–**
   मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16–बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2) / 52

निर्णय दिनांक : **06.01.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2020 को दोपहर बाद 2.20 बजे श्री प्रवीण कुमार खत्री, वरिष्ठ सहायक, हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ **मै0** जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16–बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर पर पहुवें। वहा श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरूद्वारा रोड़, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना अपना परिचय देकर **मै0** जी.डी. मार्केटिंग, प्लाट नम्बर 16–बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया तो वहां रखे प्लास्टिक के 1 बड़े बोरे में प्लास्टिक के 864 सील्ड पाउच, बिना **Net Quantity** छुपे कुरकुरे **(FREE FUN)** के पाये गये जिसे उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया।

मिलावट / नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-1001** के नमूनीकरण के लिये तोलकर 2.0 किलोग्राम **कुरकुरे (FREE FUN)** (64 सील्ड प्लास्टिक पाउच) खरीदा जिसकी कीमत 224 / – रूपये (अखरे रूप्ये दो सो चोबीस रूपये मात्र) का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विकता विजय कुमार बंसल पुत्र ओमप्रकाश बंसल के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रवीण कुमार खत्री , एवं श्री रामलाल तायल पुत्र श्री भगवानदास के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हस्ताक्षर है एव आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर 05 ए प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर **कुरकुरे (FREE FUN)** विक्रेता विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2.0 किलोग्राम **कुरकुरे (FREE FUN)** का पुनः तौल कर 500 500 ग्राम के चार समूह बनाए। प्रत्येक समूह को गत्ते के कार्टन में भर कर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1001** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1001** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता विजय कुमार बंसल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः-एलएस/2750/एक्ट/2019/2281 दिनांक 26.11.2019 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-1001 **कुरकुरे (FREE FUN) अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरूद्वारा रोड, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **कुरकुरे (FREE FUN)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

FSS Case No. 2020/00144

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में कुरकुरे की जांच की गई तो कुरकुरे **Misbranded** पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त कुरकुरे में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कुरकुरे (FREE FUN)** का सैम्पल के—1001 जांच रिपोर्ट क्रमांकः—एलएस/2750/एक्ट/2019/2281 दिनांक 26.11.2019 द्वारा (Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/ 52 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में वर्णित है तथा धारा 31(2) के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में कुरकुरे की जांच की गई तो कुरकुरे **Misbranded** पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त कुरकुरे में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **कुरकुरे (FREE FUN)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1001 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Misbranded Food** Under Section 3[1][zf](C)(i) of Food Safety and Standards Act.2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000.00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **कुरकुरे (FREE FUN)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर